



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड
चिन्वालीसौड़, उत्तरकाशी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना



Tele Phone No:-01371-237093

Fax No:-01371-237093

Email ID:-

cepmgsyidchinyalisaur@rediffmail.com

पत्रांक 246/पी०एम०जी०एस०वाई०/सि०ख०/चि०सौड़/वनभूमि प्र०
सेवा में,

दिनांक 24 मार्च, 2023

✓ प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
कोटबंगला उत्तरकाशी।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत बादसी-गौलोकधाम-खाण्ड मोटर मार्ग से कटखण मोटर मार्ग (2.20 कि०मी०) के निर्माण हेतु 0.89 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तारण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून 125 सुभाष रोड, देहरादून के पत्रांक संख्या 8बी/यू०सी०पी०/०६/१९/२०२०/एफ०सी/फाइल 1242 दिनांक 22/12/2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र (संलग्न) के क्रम में अवगत कराना है कि बादसी-गौलोकधाम-खाण्ड मोटर मार्ग से कटखण मोटर मार्ग (Proposal No- FP/UK/ROAD/32670/2018) की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पत्र संख्या 8बी/यू०सी०पी०/०६/१९/२०२०/एफ०सी/फाइल 1169 दिनांक 04.09.2020 के द्वारा दी गई थी। उक्त मोटर मार्ग पर विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या पर लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण कर निम्नानुसार है-

क्र०सं०	आपत्ति/कमियाँ	निराकरण
01	भारत सरकार के द्वारा आपत्ति लगाई गई है कि 1800 पौधों के रोपण रु० 23.95 लाख का अनुमानित व्यय दर्शाया गया है जो कि अत्यधिक है। इसे ब्लाक प्लान्टेशन के रूप में लगभग 1.8 हे० में किया जा सकता है, जिससे राज्य के वर्तमान नॉर्मस लगभग रु० 3.5 लाख से रु० 4.00 लाख प्रति हे० के मान से व्यय लगभग रु० 6.00 लाख ही होगा तथा इसे पुनरीक्षित करने तथा रोपण हेतु प्रस्तावित स्थल तथा प्रजातिवार पौधों की संख्या की जानकारी के साथ विस्तृत क्षतिपूरक योजना भारत सरकार के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें	उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके कार्यालय का पत्रांक 2476/12-1, कोटबंगला दिनांक 18.03.2023 के द्वारा उक्त के अनुपालन में विषयगत प्रकरण में 1800 पौधों के रोपण हेतु ब्लॉक प्लान्टेशन के रूप में 1.80 हे० स्थल चयनित कर क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना प्रेषित है (संलग्न-छायाप्रति)

अतः आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।


अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड
चिन्वालीसौड़ उत्तरकाशी।



सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी में पी0एम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत बादसी-गौलोकधम-खाण्ड मोटर मार्ग से कटखण मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.89 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका कार्यालय पत्र-578/12-1 दिनांक 21.09.2022 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से आप द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में वन भूमि हस्तान्तरण विषयक मोटर मार्ग का सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण देहरादून के पत्र दिनांक 26.11.2021 से भारत सरकार को प्रेषित की गयी थी, जिसमें भारत सरकार के पत्र दिनांक 22.12.2021 द्वारा विषयगत प्रकरण में 1800 पोधों के रोपण हेतु ब्लॉक प्लान्टेशन के रूप में 1.80 हे0 हेतु स्थल चयनित कर, रोपण हेतु प्रस्तावित पोधों की सं0 की जानकारी के साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना तैयार कर आपके माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त के अनुपालन में विषयगत प्रकरण में 1800 पोधों के रोपण हेतु ब्लॉक प्लान्टेशन के रूप में 1.80 हे0 स्थल चयनित कर क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना 02 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

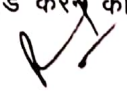


(पुनीत तोमर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि :- 1. अपर वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून, उत्तराखण्ड को उपरोक्त के कम मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई, सिंचाई खण्ड चिन्वालीसौड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संलग्न क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना को अपने स्तर से पार्ट-I में अपलोड करने का कष्ट करें।



(पुनीत तोमर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु योजना का प्राक्कलन

प्लान का नाम :- जनपद उत्तरकाशी में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत बादसी-गौलोकधाम -खाण्ड मोटर मार्ग टखण मोटर मार्ग (2.20 कि0मी0) के निर्माण हेतु 0.89 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।।

वृक्षारोपण स्थल का नाम :- अवन्त आरक्षित वन खुरमोला कक्ष सं0-03

वृक्षा0 क्षे0फ0 :- 1.80 हे0।

वृक्षारोपण व्यय प्रति है0 (1100 पौघ)

क्र0सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर	प्रति	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
प्रथम चरण :- अग्रिम मृदा कार्य।						
1	सर्वे एवं सीमांकन	1	है0	181.00	है0	181.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	1	है0	5436.00	है0	5436.00
3	दीवालबन्दी (फन्सिंग) 150 रनिंग मी0 $150 \times 0.60 + 0.45/2 \times 1.20 = 94.50M^3$	1	है0	37705.00	है0	37705.00
4	गड्डा खुदान (0.30×0.30×0.45)	1100	गड्डे	11.42	गड्डा	12562.00
5	निरीक्षण बटिया बनाना	1	है0	1095.00	है0	1095.00
6	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष) 75 प्रतिशत पॉलीथीन बैग पौधरोपण हेतु	1100	पौघ	9.75	पौघ	10725.00
7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य।	1.0	है0	10000.00	है0	10000.00
8	अन्य व्यय जैसे यन्त्र, सयन्त्र औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	1.0	है0	1000.00	है0	1000.00
योग :- प्रथम चरण						78704.00
द्वितीय चरण :- रोपण कार्य।						
1	पौधों का रखरखाव (द्वितीय वर्ष)	1100	पौघ	1.89	पौघ	2079.00
2	पौघ दुलान मय 10 प्रतिशत दुलान में क्षतिपूर्ति सहित 25 प्रतिशत नंगी व 75 प्रतिशत बैग पौघ लदाई व उतराई सहित।	1100	पौघ	7.79	पौघ	8569.00
3	कंकड़ पत्थर छानकर गड्डों का खाद/किटनाशक मिलाकर भरान करना। (0.30×0.30×0.45)	1100	गड्डे	2.04	गड्डा	2244.00
4	पौधरोपण करना अच्छी प्रकार दबाना, थावला बनाना व रोपण क्षेत्र के अन्दर दुलान सहित।	1100	पौघ	3.84	पौघ	4224.00
5	रासायनिक खाद 25 ग्रा0 प्रति गड्डा/किटनाशक 16/-कि0	1100	पौघ	1.35	पौघ	1485.00
6	निराई-गुडाई व मल्विंग (दो बार)	1100	पौघ	5.05	पौघ	5555.00
7	रोपण वर्ष में वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव पर व्यय	1	है0	7725.00	है0	7725.00
8	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
9	अन्य व्यय साईन बोर्ड, पौघ दुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो, तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डेक्कमेंटेशन आदि कार्य	1	है0	1700.00	है0	1700.00
योग :- द्वितीय चरण						34265.00
तृतीय चरण :- अनुरक्षण प्रथम वर्ष						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10300.00	है0	10300.00
2	निराई-गुडाई व मल्विंग कार्य	1100	पौघ	2.53	पौघ	2783.00
3	वनीकरण क्षेत्रों में रोपित पौधों की सिंचाई।	1100	पौघ	1.50	पौघ	1650.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
योग :- तृतीय चरण						5417.00
चतुर्थ चरण :- अनुरक्षण द्वितीय वर्ष						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है0	10300.00	है0	10300.00
2	निराई-गुडाई व मल्विंग कार्य	1100	पौघ	2.53	पौघ	2783.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है0	684.00	है0	684.00
योग :- चतुर्थ चरण						13767.00

1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10300.00	है०	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है०	684.00	है०	684.00
योग :-						10984.00
षष्ठम चरण :- अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10300.00	है०	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है०	684.00	है०	684.00
योग :-						10984.00
सप्तम चरण :- अनुरक्षण पंचम वर्ष						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10300.00	है०	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है०	684.00	है०	684.00
योग :-						10984.00
अष्टम चरण :- अनुरक्षण षष्ठम वर्ष						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10300.00	है०	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है०	684.00	है०	684.00
योग :-						10984.00
नवम चरण :- अनुरक्षण सप्तम वर्ष						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10300.00	है०	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है०	684.00	है०	684.00
योग :-						10984.00
दशम चरण :- अनुरक्षण अष्टम वर्ष						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10300.00	है०	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है०	684.00	है०	684.00
योग :-						10984.00
एकदशम चरण :- अनुरक्षण नवम वर्ष						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10300.00	है०	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है०	684.00	है०	684.00
योग :-						10984.00
द्वादशम चरण :- अनुरक्षण दशम वर्ष						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10300.00	है०	10300.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	है०	684.00	है०	684.00
योग :-						10984.00
कुल योग :-						260025.00

नोट :- प्रभाग के आगणन अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि 230025.00 है, किन्तु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून के आदेश सं०-1459/3-5-2 दिनांक 01.07.2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि मु०-4,07,992.00 निर्धारित की गई है। अतः क्षति० वृक्षा० की धनराशि मु०-4,07,992.00 से निकाली जा रही है।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति है० = 4,07,992.00

परियोजना निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल = 0.89 है० x 2 = 1.80 है०।

दोगुने क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अपेक्षित धनराशि = 1.80 x 4,07,992.00 = 734385.60 रु०

Or Say = 7,34,386.00 Rs.

734-386/-
Checked For
Uttarkashi Forest Division
Uttarkashi

वन क्षेत्राधिकारी
धरासू

प्रमुख वन संरक्षक
उत्तराखण्ड प्रभाग
उत्तराखण्ड

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/19/2020/एफ0 सी0/1242

दिनांक: 22/12/2021

सेवा में,

✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बादसी गौलोकधाम खाण्ड मोटर मार्ग से कटखन मोटर मार्ग (2.2 किमी0) के निर्माण हेतु 0.89 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण। (FP/UK/ROAD/32670/2018)

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 1305/FP/UK/ROAD/32670/2018 दिनांक 26-11-2021

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 04.09.2020 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसकी अनुपालना राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अनुपालन आख्या के अवलोकन उपरान्त ज्ञात होता है कि 1800 पौधों के रोपण हेतु रु23.95 लाख का अनुमानित व्यय दर्शाया गया है जो कि अत्यधिक है। इसे ब्लॉक प्लान्टेशन के रूप में लगभग 1.8 हे0 में किया जा सकता है, जिसमें राज्य के वर्तमान नॉर्मस लगभग रु 3.5 लाख से रु0 4.00 लाख प्रति हे0 के मान से व्यय लगभग रु0 6.00 लाख ही होगा। अतः आपसे अनुरोध है कि इसे पुनरीक्षित करें तथा रोपण हेतु प्रस्तावित स्थल तथा प्रजातिवार पौधों की संख्या की जानकारी के साथ विस्तृत क्षतिपूरक योजना इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तदोपरान्त ही प्रस्ताव में अग्रिम कार्रवाई की जा सकेगी।

भवदीया,

उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)